


10-07-25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता  
वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग  
समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई।  
कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी  
एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर  
नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पेखी' व  
'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज  
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दारखिल दफ़तर  
हो व नंबर से कम हो।

  
10/7/25  
सहायक कलक्टर  
(SDO), बाड़मेर

